प्रेस विज्ञप्ति

06.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू उप आंचलिक कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के 1200 उप-निरीक्षकों की भर्ती के लिए जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) द्वारा आयोजित परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित एक मामले में आरोपी यतिन यादव एवं अन्य द्वारा आर्थिक लाभ दिये जाने के विरूद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी यतिन यादव, मेसर्स न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉरपोरेशन, प्रो. यतिन यादव और उनके सहयोगी लोकेश कुमार से संबंधित बैंक बैलेंस के रूप में 1 करोड़ (लगभग) रुपये की चल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी ने सीबीआई, जम्मू द्वारा आरोपी दलाल यतिन यादव और 23 अन्य आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध दायर एफआईआर और आरोप पत्र के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि आरोपी यतिन यादव ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश में, प्रश्न पत्र प्राप्त करने के इच्छुक विभिन्न उम्मीदवारों से संपर्क किया और उन्हें 15 लाख से लेकर 30 लाख मौद्रिक भुगतान के बदले 25.03.2022 से 27.03.2022 के दौरान विभिन्न स्थानों पर लीक प्रश्न पत्र प्रदान किए।

ईडी की जाँच के दौरान, संदिग्ध बैंक खातों की जाँच से पता चला कि नकदी जमा (कैश डिपॉजिट) और अन्य धनराशि को यतिन यादव से संबंधित बैंक खातों में भेजने के लिए लेनदेन की श्रृंखला का उपयोग किया गया था। धनराशि उनकी स्वामित्व वाली फर्म, मेसर्स न्यू ग्लोबल फ्यूमिगेशन कॉर्पोरेशन में भी भेजी गई थी और छोटी राशि के लेनदेन के माध्यम से नष्ट कर दी गई थी। परस्पर जुड़े लेन-देन की रैखिकता, इस तथ्य के साथ मिलकर कि लेन-देन का लाभार्थी आरोपी दलाल यतिन यादव है, ने अपराध की आय से संबंधित उक्त बैंक खातों में धन की दूषित प्रकृति को स्पष्ट रूप से स्थापित किया है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।